

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम न्याय-01/2024 श्र०सं०...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 12951 दिनांक 17.07.2026 के आलोक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत निम्नांकित स्तंभ-02 में अंकित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम, पदनाम एवं पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3
1	श्री दीपक कुमार-III, सिविल जज (वरीय कोटि)-सह-ए०सी०जे०एम०, नवगछिया (भागलपुर),	पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम न्याय-01/2024 श्र०सं०.....23...../पटना, दिनांक- 24/07/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी/सभी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/2026
सरकार के विशेष सचिव